

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय  
सेक्टर - 19 अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदन क्रमांक RPR00001322 आवेदन दिनांक 22 Apr 2026

**भवन का विवरण**

भवन का प्रकार : Educational Buildings / शैक्षणिक परिसर (स्कूल, सीनियर सेकंडरी स्कूल अन्य ट्रेनिंग संस्थान)--Having height 9mtr & above but not exceeding 15mtr

परिसर का नाम SHIVAM EDUCATIONAL ACADEMY

व्यवसाय का प्रकार : SCHOOL

भवन का पता : INDRAPRASTHA PHASE 2,RDA COLONY,RAIPURA,RAIPUR CHHATTISGARH

**आवेदक का विवरण**

आवेदक का नाम : VINOD KUMAR PANDEY

पिता/पति का नाम : LT KUNJMANI PRASAD PANDEY

मोबाइल नंबर : 9584070707 ईमेल आईडी : seindrprastha25@gmail.com

आवेदक का पता : INDRAPRASTHA PHASE 2,RDA COLONY,RAIPURA,RAIPUR CHHATTISGARH

**संलग्न दस्तावेज़**

भवन निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र

भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रमाण पत्र

**घोषणा**

मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पूरी तरह सत्य है, यदि किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाये जाने की स्थिति में अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।

आवेदन दिनांक 22 Apr 2026

स्थान रायपुर

आवेदक का नाम VINOD KUMAR PANDEY

मोबाइल नं° 9584070707

ईमेल आईडी seindrprastha25@gmail.com

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय  
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 1083-A-A-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° /2025/ रायपुर

दिनांक : 04/03/2025


प्रमाणित किया जाता है कि श्री VINOD KUMAR PANDEY के परिसर INDRAPRASTHA PHASE 2, RDA COLONY, RAIPURA, RAIPUR CHHATTISHGARH में स्थित SHIVAM EDUCATIONAL ACADEMY का इस विभाग द्वारा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र", पत्र क्रमांक- 1083-A-A दिनांक 30/10/2023 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री पुष्पराज सिंह द्वारा श्री श्री विनोद कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में दिनांक 01/03/2025 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से SHIVAM EDUCATIONAL ACADEMY में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः VINOD KUMAR PANDEY की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार परिसर में अग्निशमन हेतु वाटर रिसोर्स बढ़ाने की शर्त पर संस्था के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।



जारी दिनांक : 04/03/2025



प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर